

न्यायपालिका द्वारा जारी दिनांकित - 02-7-2022



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखीमपुर खीरी, तहसील : लखीमपुर खीरी
 वाद संख्या : 3570/2022
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : 72022104328019670
 दमयन्ती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
 अन्तर्गत धारा - 80, अधिनियम - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी दमयन्ती पुर्वी नौथेताल निवासी मोहल्ला शिवकालोनी परगना खीरी शहर तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद योजित करते हुए कहा है कि प्रथमतः भूमि स्थित राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-177 की गाटा संख्या-379/0.316है0 पर वादिनी संकलनीय भूमिधर दर्जे राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादिनी का कब्जा है तथा वादिनी उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन में ला रही है। अतः उक्त भूमि अकृषिक घोषित की जाये।

उक्त भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार लखीमपुर ने आख्या दिनांक 02.07.2022 प्राप्त की गई। तहसीलदार लखीमपुर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है। भूमि स्थित राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-177 की गाटा संख्या-379/0.316है0 पर वादिनी संकलनीय भूमिधर दर्जे राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित कराना चाहती है। भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है। उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की समतुति की गयी है।

वाद दर्जे रजिस्टर किया गया। वादिनी द्वारा साक्ष्य के रूप में खतौनी उदत्तरण, नजरी नक्शा, मीके का फोटोग्राफ, सीआरचो 41, 45 व आधारकार्ड फील्डप्रयाप्रति एवं स्वयं का शपथ पत्र दाखिल की गयी। अतः तहसीलदार की आख्यानुसार मेरा समाधान हो गया है कि प्रथमतः भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं हो रही है और भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु उद्घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत जयेंगा पत्र संख्या-80(1) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुये भूमि स्थित राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-177 की गाटा संख्या-379/0.316है0 भूमि को गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। वादिनी ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सकिल रेट के अनुसार मातियत का प्रतिशत निर्धारित लेखा शीपेक में जमा करके पत्रावली संख्या-जीआई01055 दिनांक 01.07.2022 प्रस्तुत किया है। पत्रावली अन्तर्गत जमा करी जाये। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लखीमपुर को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक न्यायवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक- 02-7-2022

उप जिलाधिकारी
 लखीमपुर

आदेश पत्रक का प्रमाणित प्रतिलिपि
 न्याय मंडल, न्यायिक कार्यालय
 न्यायिक कार्यालय का पता
 न्यायिक कार्यालय का पता
 न्यायिक कार्यालय का पता

प्रतिपालिका
 दिनांक 02-7-2022
 अतिरिक्त न्यायाधीश
 सौरभ सेवा राखी
 बुद्धिपूर्वक गैर शिवपुरी
 जिला-लखीमपुर



न्यायाधीश द्वारा
 लिखित पत्र

न्यायपालिका द्वारा जारी दिनांकित - 02-07-2022



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपनिवेशिका
 मण्डल : तख्तन 5, जनपद : लखीमपुर खीरी, तहसील : लखीमपुर खीरी
 वाद संख्या : 3671/2022
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T2022204328019671
 बाबू रामेश्वर दयाल द्वितीयिका बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
 अंतर्गत धारा - 80, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी बाबू रामेश्वर दयाल डिप्टी कालेक्टर द्वारा प्रबंधक समयन्ती पत्नी जुगुल किशोर निवासी मोहनवाड़ा शिवकालोनी परगना खीरी शहर व लखीमपुर जिला खीरी द्वारा अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद घोषित करने हुए कहा है कि प्रमाणित भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-247 की गाटा संख्या-393/1/1, 425हे0 पर वादिनी सार्वजनिक भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि में दो रकबा 0.600हे0 को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादिनी का कब्जा है तथा वादिनी उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन में ला रही हैं। अतः उक्त भूमि अकृषिक घोषित की जाये।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार लखीमपुर से आख्या दिनांक 02.07.2022 प्राप्त की गई। तहसीलदार लखीमपुर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है। भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-247 की गाटा संख्या-393/1/1, 425हे0 पर वादिनी सार्वजनिक भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि में दो रकबा 0.600हे0 को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित करना चाहती है। भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है। उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादिनी द्वारा साक्ष्य के रूप में खतौनी उद्तरण, नजरी नक्शा, भूमि का फोटोग्राफ, सी.एच.आ. 41, 43 व आधारकाले की छायाप्रति एवं स्वयं का शपथ पत्र दाखिल की गयी। उक्त तहसीलदार की आख्यानुसार गैर समाधान हो गया है कि प्रस्तावित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं हो रही है और भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु उद्घोषित किया जाता न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 360 की धारा-80(1) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुये भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-247 की गाटा संख्या-393/1/1, 425हे0 भूमि में दो रकबा 0.600हे0 को गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। परभावती पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाए जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। वादिनी ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सफैत रेट के अनुसार मातियत का। प्रतिशत निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करके चालान संख्या-जीआई000056 दिनांक 01.07.2022 प्रस्तुत किया है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की एक प्रति उपनिवेशक लखीमपुर को भेजी जाये। परभावती वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 02.7.2022

पृष्ठ संख्या :

[Signature]
 उप जिलाधिकारी
 लखीमपुर

आदेश पत्रक का क्रमांक 360
 आदेश पत्रक जारी का दिनांक 2-7-22
 आदेश पत्रक जारी का दिनांक 2-7-22
 आदेश का मूल्य
 आदेश की प्रतियाँ

सौरभ सेना संस्थान
 पुरानी कुआँवा पोस्ट सिविल सिपि
 जिला - खीरी



अधिवक्ता द्वारा
 दिनांक 02/7/2022